न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–242/2022
प्रकरण निर्णय दिनांक:–18.05.2023

उनवान

1. जगदीश पुत्र श्री नारायण
2. रणवीर पुत्र श्री नारायण

} जाति गुर्जर निवासी ढोलका तह. बसवा जिला दौसा

:–वादीगण

बनाम

1. सेवाराम पुत्र श्रवण
2. कौशल्या पत्नि बुद्धालाल
3. जयसिंह पुत्र बुद्धालाल
4. हरियल पुत्री बुद्धालाल

} जाति गुर्जर निवासी ढोलका तहसील बसवा जिला दौसा

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बसवा जिला दौसा

:–प्रतिवादीगण

"दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा"

निर्णय दिनांक 18.05.2023

वादीगण द्वारा वाद दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खाता सं. नया 56 पुराना 57 के आराजी खसरा नं. 46 रकबा 0.07 हैक्ट. बारानी 1, खसरा नं. 47 रकबा 0.05 हैक्ट. बारानी 1, खसरा नं. 50 रकबा 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 51 रकबा 0.04 हैक्ट. बारानी 1, खसरा नं. 56 रकबा 8.3600 हैक्ट. बारानी 2, खसरा नं. 56/562 रकबा 0.0500 हैक्ट. बारानी 1, खसरा नं. 69 रकबा 2.200 हैक्ट. बारानी 1 कुल किता 07 कुल रकबा 10.8100 हैक्ट. वाके ग्राम मानोता तह. बसवा में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त के साबिक खसरा नं. 05 रकबा 42 बीघा 16 बीस्वा रहे हैं। मुताबिक सिजरा खानदान वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण सं. 01 तथा प्रतिवादी सं. 2 के पति एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 के पिता सगे भाई हैं। भूमि वादग्रस्त में जिनका हिस्सा संयुक्त रूप से 1/6 रहा है। सभी पक्षकारान ने मौके पर भूमि वादग्रस्त के अपने हिस्से 1/6 को मौके पर 3 हिस्सों में बॉटकर काबिज काश्त कर रहे हैं। वादीगण का भूमि वादग्रस्त में संयुक्त रूप से हिस्सा 1/18 है। सैटलमैन्ट की कार्यवाही के दौरान भूमि वादग्रस्त में से वादीगण के पिता का नाम विधि विरूद्ध तरीके से हटाकर भूमि वादग्रस्त को प्रतिवादी सं. 01 तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 के पति/पिता के नाम ही दर्ज कर दिया। वादीगण भूमि वादग्रसत में संयुक्त रूप से हिस्सा 1/18 के खातेदार काश्तकार हैं और इसी आशय की उद्घोषणा अपने अपने करवाने के कानूनन हकदार हैं। भूमि वादग्रस्त में वादीगण कानूनन पैतृक समय से हिस्सा 1/18 के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण को भूमि वादग्रस्त में अपने हिस्से के 1/18 की उद्घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज करवाने के हकदार हैं। जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्से 1/12 को हजफ किया जाकर हिस्सा 1/18 तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 के नाम अलग अलग रूप से दर्ज हिस्से 1/36 को हजफ कर उनके स्थान पर हिस्सा 1/54 दर्ज किया जाना कानूनन एवं इन्साफन न्यायोचित है इसी

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

आशय की दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण करवाने के कानूनन हकदार है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 वादीगण की खातेदारी भूमि के गलत रूप से उनके नाम जमाबन्दी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर भूमि वादग्रस्त को खुर्द बुर्द करने, दीगर लोगों को बेचने पर आमादा हैं। जिससे वादीगण को अपूंरणीय क्षति कारित होगी। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना कानूनन न्यायोचित है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि वादग्रस्त में प्रतिवादी सं. 01 के हिस्से 1/12 के स्थान पर हिस्सा 1/18 तथा प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 के अलग अलग रूप से दर्ज हिस्सो 1/36 के स्थान पर 1/54 तथा वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/36–1/36 दर्ज किया जावे राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार दुरूस्त किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त खाता सं. 56 पुराना 57 के खसरा नं. 46, 47, 50, 51, 56, 56/562, 69 कुल किता 7 कुल रकबा 10.81 हैक्टेयर है अपने नाम दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर दीगर लोगों को रहन बय न करे, वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा न करें। भूमि वादग्रस्त की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन विधिवत की गई। तलबी प्रतिवादीगण बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रकरण साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्यवादी शपथ पत्र रणवीर पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी ढोलका तहसील बसवा जिला दौसा एवं नरेश पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी ढोलका तहसील बसवा जिला दौसा का प्रस्तुत किया गया। प्रदर्श अंकित किये गये। वादीगण वकील बहस सुनी गयी। वादीगण वकील द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया गया तथा भूमि वादग्रस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर वादीगण के अपने हिस्से 1/18 की उद्घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज करवाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादीगण बहस पर मनन किया। वादपत्र के संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2075–2078 ग्राम मानोता खाता संख्या नया 56 पुराना 57–प्रदर्श–1, राजस्व जमाबंदी संवत 2043–46 ग्राम मानोता–प्रदर्श–2, खसरा परिवर्तनशील संवत 2052–2071 किता–4 ग्राम मानोता–प्रदर्श–3, राजस्व जमाबंदी संवत 2043–46 ग्राम मानोता–प्रदर्श–4, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्धक विभाग, ग्राम मानोता संवत 2052 से 2071–प्रदर्श–5 का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से वादीगण के पिता का नाम हजफ होना प्रकट है। अतः उपरोक्त विवेचन से वादीगण वाद दावा उदघोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर भूमि खाता सं. नया 56 पुराना 57 के आराजी खसरा नं. 46 रकबा 0.07 हैक्ट., खसरा नं. 47 रकबा 0.05 हैक्ट., खसरा नं. 50 रकबा 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 51 रकबा 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 56 रकबा 8.3600 हैक्ट., खसरा नं. 56/562 रकबा 0.0500 हैक्ट., खसरा नं. 69 रकबा 2.200 हैक्ट. कुल किता 07 कुल रकबा 10.8100 हैक्ट. वाके ग्राम मानोता तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा में प्रतिवादी सं. 01 के हिस्से 1/12 के स्थान पर हिस्सा 1/18 तथा प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 के अलग अलग रूप से दर्ज हिस्सो 1/36 के स्थान पर 1/54 तथा वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/36–1/36 राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित भूमि वादग्रस्त को दीगर लोगों को रहन बय न करे, वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

न करें। भूमि वादग्रस्त की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई निर्णयानुसार विधिवत पालना कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई